न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 322–दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 31–5–12 पारित द्वारा तहसीलदार सीहोर के प्रकरण कमांक 94/अ–12/11–12.

गोवर्धन आ0 श्री श्यामलाल जाति छीपा
आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम बड़नगर तहसील व जिला सीहोर म0 प्र0

निगराकार

विरूद्ध

देवकुँवर बाई पत्नि श्री मनोहर सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम बड़नगर तहसील व जिला सीहोर म0 प्र0

गैर निगराकार

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/21/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 322–दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सीहोर के प्रकरण कमांक 94/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 31–5–12 के विरूद्ध संस्थित हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकार देवकुंवर बाई द्वारा उनकी भूमि सर्वे कमांक 449/1/2 रकबा 1.699 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन तहसीलदार सीहोर को दिया गया। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 31–5–12 से सीमांकन की पुष्टि करते हुए सर्वे कमांक 449/1/2 के अंश मात्र 0.216 हैक्टेयर

पर निगराकार गोवर्धन का अवैध कब्जा बताया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई ।

3/ निगराकार अधिवक्ता का तर्क है कि वे सरहदी कृषक है, इसके बावजूद उन्हें सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिए बगैर सीमांकित भूमि में उनका अवैध कब्जा बता दिया गया, जो कि गलत है ।

गैर निगराकार अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क दिये गए जिसमें उन्होंने सीमांकन की सूचना निगराकार को दी जाने और निगराकार द्वारा निगरानी विलंब से बगैर धारा 5 के आवेदन एवं विलंब के कारण बता दिये जाने से निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया है ।

4/ मैने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का गंभीरता से अध्ययन किया । इसके फलस्वरूप मैं निम्न प्रमुख बिन्दु प्रकरण में टीप योग्य पाता हूँ :–

(1) गैर निगराकार द्वारा दिनांक 30–3–12 को खसरा नंबर 449/1/2 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया है, किन्तु धारा 129 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत वर्ष 1960 में बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे आवेदन में 'लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंडों या भू–खंडाकों को प्रदर्शित करने वाला विवरण' भी आवेदक द्वारा दिया जाना है, जो स्पष्टतः इस प्रकरण में आवेदक ने नहीं दिया है ।

(2) तहसील के प्रकरण में दिनांक 15–5–12 का सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें पहले चार नाम लिखे गए, फिर उनमें से तीन नाम काटे गए और केवल चौथा नाम निगराकार गोवर्धन का शेष छोडा गया । इस सूचना पत्र के पृष्ठ भाग में 'गोरवधन' ऐसे हस्ताक्षर लिखे हैं; इसंके अतिरिक्त तहसील के प्रकरण में किसी अन्य जगह निगराकार गोवर्धन के हस्ताक्षर नहीं है । राजस्व मण्डल के प्रकरण में भी निगराकार गोवर्धन के हस्ताक्षर लगभग 7 जगह हैं, एवं सभी जगह 'गोवर्धन' या 'गोर्वधन' पढ़ने में आता है, 'गोवरधन' नहीं । तहसीलदार के प्रकरण के इस सूचना पत्र में गोवर्धन को मेड़ पडोसी कृषक होना तो लिखा है, किन्तु ऐसा किस आधार पर वहां माना गया है

यह कहीं स्पष्ट नहीं है । निगरानी प्रकरण में भी किसी भी पक्षकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि निगराकार गोवर्धन सरहदी कृषक हैं तो किस प्रकार से हैं। तहसीलदार के प्रकरण में सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों की आधार सहित पहचान नहीं की गई है, यह स्पष्ट है ।

(3) पंचनामें एवं सीमाकंन प्रतिवेदन में निगराकार का अवैध कब्जा पाया जाना तो लिखा है, किन्तु निगराकार के हस्ताक्षर पंचनामें में नहीं हैं । इनमें यह तो लिखा है कि 'पडोसी कृषक पंचगणों को सूचना उपरान्त उपस्थित है,' किन्तु इनमें यह नहीं लिखा है कि निगराकार ने मौके पर उपस्थित रहने के बावजूद हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जबकि निगराकार को सरहदी कृषक किन आधारों पर माना गया है, यह कहीं नहीं स्पष्ट किया गया और ना ही यह भी कही स्पष्ट किया गया कि निगराकार के अतिरिक्त कोई अन्य सरहदी कृषक / हितबद्ध पक्षकार हैं या नहीं ।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि तहसील के प्रकरण में (क) सरहदी कृषकों की पहचान को लेकर सही से कार्यवाही नहीं हुई । (ख) सरहदी कृषकों को सूचना दी गई या नहीं, इस पर पूर्ण स्पष्टता का अभाव है, (ग) पंचनामें के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि निगराकार मौके पर उपस्थित थे, तथा (घ) निगराकार को सूचना दिये जाने एवं उनकी मौके पर उपस्थिति होने के संबंध में स्पष्टता का अभाव होने के बावजूद एवं तहसीलदार के समक्ष भी उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला होने के बावजूद, निगराकार के विरूद्ध यह घोषित कर दिया गया कि उन्होंने गैर निगराकार की भूमि के अंश भाग पर अवैध कब्जा किया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधि के प्रतिकूल है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 31–5–12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ एवं उसे निरस्त करता हूँ ।

6/ साथ ही मैं यह भी पाता हूँ कि चूंकि तहसीलदार ने, गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन में धारा 129 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत वर्ष 1960 में बने सीमाकंन से संबंधित नियमों का पालन करते हुए 'लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांकों/उपखंडों का विवरण' नहीं दिया गया होने के बावजूद ऐसे आवेदन को विचार में लिया, और तदुपरान्त भी उन्होंने (तहसीलदार ने) सीमावर्ती सर्वे नम्बरों/बटांकों एवं उनके भू–धारकों को पहचानने के लिए कोई स्पष्ट एवं समाधानकारक कार्यवाही ना तो खुद की और ना ही सीमांकन के आवेदनकर्ता से करवाई, तो यह उनकी गंभीर लापरवाही थी एवं उन्हें विधि एवं नियमों का ज्ञान नहीं होने का द्योतक था ।

तदुपरान्त प्रकरण के सूचना पत्र में काटपीट होने एवं निगराकार को पक्ष समर्थन का स्पष्ट एवं समाधानकारक अवसर अभिलेख अनुसार नहीं दिया गया होने के बावजूद, निगराकार का अवैध कब्जा होना बता देना भी उनके द्वारा न्यायपूर्ण एप्रोच (approach) नहीं अपनाए जाने का द्योतक हैं ।

सीमाकंन जैसी प्रशासकीय कार्यवाही की नियमितता एवं वैधता को लेकर न्यायिक वाद अनावश्यक रूप से उत्पन्न होता है और बढ़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए ।

अतः मैं एतद्द्वारा संबंधित तहसीलदार की इस लापरवाहीपूर्ण एवं गलत रवैया अपनाते हुए की गई कार्यवाही की भी निन्दा करता हूँ तथा अपेक्ष करता हूँ कि ऐसी कार्यवाही की पुनरावृत्ति वे नहीं करेंगे । इसके साथ ही यह निगरानी स्वीकार करते हुए राजस्व मण्डल से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार एवं संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
प्रकरण दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर